23/09/24

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। उभय पक्ष उप। प्रार्थना पत्र प्रार्थी आंशिक स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय अलग से लिखा जाकर शामिल मिसल किया गया। पत्रावली नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

GCMS
2023/68

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2024.09.23 16:45:29 IST
Reason: SelfAttested

फर्द अहकाम
(नियम 26)
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी–सूरतगढ़ जिला–श्रीगंगानगर

लव बनाम मोतीराम व अन्य

किस्म मुकदमा:– 212 आर.टी.ए. प्रकरण संख्या:– 38/2023

GCMS No. 2023/68

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
23.09.2024	पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष उपस्थित। वकील वादी ने प्रार्थना पत्र को दोहराते हुए बताया कि प्रार्थी के दादा मोतीराम के नाम से पैतृक भूमि वाके रोही मौजा ढ़ाढ़ियावाली के खाता संख्या 34 नया 45 पुराना के खसरा संख्या 81/3 की 3.795 हैक्टर बारानी भूमि खातेदारी है। जिसमें प्रार्थी के पिता का 1/6 हिस्सा भूमि है। जो कि आवंटनशुदा भूमि है। जिसकी खातेदारी प्रार्थी के दादा के नाम से जारी है। यह भूमि पैतृक सम्पति में आती है। प्रार्थी के पिता का 1/6 हिस्सा बनता है जो कि प्रार्थी के पिता द्वारा कब्जा लिया जाकर काश्त करते आ रहे है। प्रार्थी का उक्त भूमि में 1/6 हिस्सा में से 1/2 हिस्सा बनता है। प्रार्थी के पिता व दादा प्रार्थी की देखभाल नही करते है तथा जैरवाद भूमि को बेचने की फिराक में है। यदि वे अपने मकसद में कामयाब हो गये तो प्रार्थी को कभी ना पुरा होने वाला नुकसान होगा तथा प्रार्थी अपने हक व हिस्सा से रह जावेगा। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर दिनांक 28.03.2023 को जारी टी0आई0 का वाद पत्र के निर्णय तक स्थाई किया जावे। वकील अप्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए बताया कि जैरवाद रकबा वाके रोही मौजा ढ़ाढ़ियावाली के खाता संख्या 34 नया 45 पुराना के खसरा संख्या 81/3 की 3.795 हैक्टर बारानी भूमि अप्रार्थी संख्या–01 को स्वयं आवंटित है। जिसे अप्रार्थी संख्या 01 ने कड़ी मेहनत कर काबिल काश्त बनाया है। उक्त भूमि अप्रार्थी संख्या 01 की स्वअर्जित सम्पति है। उक्त स्वअर्जित सम्पति में प्रार्थी का कोई हक व हिस्सा नही बनता है। खातेदार कृषक के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नही की जा सकती है। प्रार्थी की माता पढ़ी–लिखी चालाक औरत है। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी संख्या–01 को तंग व परेशान करने के लिये यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। जैरवाद रकबा अप्रार्थी संख्या–01 का स्वअर्जित रकबा होने के कारण सुविधा का संतुलन अप्रार्थी संख्या–01 के पक्ष में है। अतः प्रार्थना पत्र आधारहीन होने के कारण निरस्त किया जावे। पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं संलग्न दस्तावेजों का अध्ययन किया गया। यह स्पष्ट है कि जैरवाद रकबा अप्रार्थी संख्या–01 मोतीराम को आवंटन है तथा आवंटन के पश्चात् उनके नाम खातेदारी होकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज चला आ रहा है। इसे प्रार्थी एव अप्रार्थी ने स्वयं स्वीकार किया है। दौराने बहस वकील अप्रार्थी ने निवेदन किया है कि जैरवाद रकबा में ट्यबवैल लगाने हेतु शिथिलता प्रदान की जावे। जिस पर वकील प्रार्थी ने भी कोई ऐतराज नही किया है। अतः प्रार्थना पत्र आंशिक स्वीकार कर इस न्यायालय द्वारा दिनांक 28.03.2023 में आंशिक संशोधन कर अप्रार्थी संख्या–01 को पाबंद किया जाता है कि वे रोही ढ़ाढ़ियावाली के खाता संख्या 34/45 के खसरा संख्या 81/3 की 3.795 हैक्टर बारानी खातेदारी भूमि को बेचान एवं हस्तातंरण ना करें। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। Signature Not Verified Digitally signed by Sandeep Kumar Date: 2024.09.23 16:45:29 IST Reason: SelfAttested (संदीप कुमार) उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ (राज.)	न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़